श्री खण्डेलवाल वैश्य स्नातकोत्तर महाविधालय, शास्त्री नगर, जयपुरः–

इस महाविधालय की स्थापना वर्ष 1983 में हुई। श्री खण्डेलवाल वैश्य बालिका उच्च माध्यमिक विघालय, संसार चन्द्र रोड, जयपुर परिसर में विघालय के मुख्य भवन की प्रथम मंजिल पर इसका संचालन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1984 में हितकारिणी सभा के ऐतिहासिक चुनाव के दौरान श्री राम गोटे वाले जो कि तत्कालीन काग्रेस सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री थे, उन्होने अध्यक्ष प्रत्याशी श्री राधा कृष्णा कटटा का समर्थन करते हुए रू 1/– टोकन मनी पर महाविधालय के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की।

लेकिन तात्कालिक हितकारिणी सभा के अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण कट्टा ने वह रू 1/– की टोकन मनी भी जमा नही कराई इसके पश्चात् श्री राधा कृष्ण कट्टा हितकारिणी सभा का चुनाव हार गये। परन्तु 10 माह पश्चात न्यायालय के आदेश पर ही श्री राधेश्याम जी सौखिया द्वारा चार्ज लिया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महाविधालय के लिए भूमि आवंटन को निरस्त करने का नोटिस भिजवाया गया इस कार्यवाही को रोकने हेतु तात्कालिक अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सौखिया प्रधानमंत्री श्री राम मनोहर बटवाडा अन्य पदाधिकारियो के साथ राज्यपाल महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर राशि जमा कराने की अवधि बढाने का आदेश करने हेतु निवेदन किया। इस पर जेडीए द्वारा मूल राशि रू 1/– एवं उस पर ब्याज 32 पैसे जमा कर आवंटन का पुनः नियमितीकरण किया गया। जेडीए के आदेश के अनुपालना में श्री सूरज नारायण जी कायथवाल जापान वाले के आग्रह कर रू 300000/– का सहयोग के हॉल का निर्माण कराया एवं श्री रामदास जी सौखिया , श्री राम मनोहर बटवाडा एवं अन्य समाज बन्धुओ से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर 5 कमरो का निर्माण करवाया गया।

वर्ष 1988 में महाविधालय को संसार चन्द्र रोड से शास्त्री नगर स्थानांतरित कर दिया गया और बालिका स्कूल में इसकी जगह महिला महाविधालय शुरू किया गया।

वर्ष 1988 से 1990 के दौरान कॉलेज में बेसमेंट का निर्माण लाईब्रेरी के लिए किया गया भूतल मंजिल पर तीन कमरो एवं एक कार्यालय कक्ष का निर्माण किया गया।

वर्ष 1990 से 1998 तक कोई निर्माण कार्य नही हुआ।

वर्ष 1998 से 2010 :– वर्ष 1998 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पृथक से महाविधालय प्रबंध समिति का गठन किया गया। उस समय लगभग 150 विधार्थी अध्ययरत है। और महाविधालय के आचार्य /प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारियो के वैतन भुगतान हेतु हितकारिणी सभा की ओर से मासिक अनुदान राशि देने पर ही होता था। वर्ष 1999 से 2000 तक महाविधालय प्रगति का स्वर्णिम कॉल रहा। महाविधालय में प्रथम मंजिल का निर्माण कराया गया एवं एक नये बेसमेट का निर्माण कर उसमें इडोर गेम खेलने का व्यवस्था की गई। अध्ययनरत विधार्थियो की संख्या बढकर लगभग 1100 तक पहुच गई।

वर्ष 2010–2020 तत्पश्चात राजस्थान विश्वविधालय द्वारा प्रवेश प्रकिया बदल दिये जाने के कारण प्रवेश लेने वाले छात्रो में निरंतर गिरावट होते हुए पुनः 350 तक संख्या 2017 तक गिर गई। जो पुनः बढकर अब वर्तमान में 575 तक पहुच गई है।

महाविधालय प्रबंध समिति द्वारा हितकारिणी सभा के आग्रह पर श्री खण्डेलवाल वैश्य केन्द्रीय उच्च माध्यमिक विधालय को आर्थिक परेशानियो के कारण बंद होने से बचाने के लिए दो बार में 40 लाख रूपये का सहयोग किया गया।

वर्तमान में खण्डेलवाल स्पोर्टस एकेडमी भी प्रारम्भ कर दी गई है।

वर्ष 2004 में महाविधालय को स्नातकोत्तर महाविधालय का दर्जा दिलवाया गया कार्मस विषय 2018–19 में कला एवं विज्ञान विषय में भी यह दर्जा मिल गया है।

प्रबन्धसमिति के गठन :– पर उत्पन्न वैधानिक स्थितियो के संबंध में न्यायिक प्रकरणो की जानकारी :– वर्ष 1997 से उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गठित प्रबंध समिति का राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था नियम 1993 के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष समाप्ति पर निर्धारित प्रक्रिया से प्रबंध समिति का गठन किया जाना आवश्यक है इसलिए समय समय पर प्रबंध समिति के गठन हेतु चुनाव करा कर प्रबंध समिति का गठन किया गया।

वर्ष 2004 में हितकारिणी सभा द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रबंध समिति के गठन हेतु विज्ञप्ति तात्कालिक अध्यक्ष श्री सोहन लाल ताम्बी द्वारा गठित मार्च 2004 अवैधानिक चुनाव समिति द्वारा जारी कराई गई । क्योकि हितकारिणी सभा के निर्वाचन समिति के गठन का अधिकार हितकारिणी सभा के विधान में आम सभा को दिया गया है और विधालयो की प्रबंध समिति के गठन हेतु निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के अधिकार राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 संबंधित प्रबंध समिति को दिया गया है।

तात्कालिक अध्यक्ष श्री सोहन लाल ताम्बी द्वारा बनायी गयी अविधिक निर्वाचन समिति के संयोजक श्री सीताराम सेठी द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई जिसके विरूद्व महाविधालय प्रबंध के तात्कालिक सचिव श्री राजेन्द्र ताम्बी द्वारा वाद एवं निषेधाज्ञा आवेदन पत्र न्यायालय ए.सी.जे. एम–3 जयपुर शहर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 26 फरवरी 2004 (देखें MainOrders -PDF Page 93 to 98) से सम्बन्धित विज्ञप्ति के विरूद्व निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया। इसके विरूद्व सीताराम सेठी एवं प्रेम चन्द कटटा संयुक्त मंत्री निष्कासित द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 जयपुर शहर जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.03. 2004 को आदेश (देखें MainOrders -PDF Page 100 to 116) पारित कर निर्णय दिया कि प्रेम चन्द कटटा को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है,फिर भी संस्था का प्रकरण होने के कारण तथ्यो की जानकारी को मध्य नजर रखते हुए तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई। ततदपरांत निर्णय दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नही पाई जाती है। इसलिए अपील निरस्त की जाती है।